न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 559/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट्स
1– गणपतलाल पुत्र धनराज 2– पंखीदेवी पत्नी गणपतलाल 3– गिरीशकुमार पुत्र गणपतलाल जाति ओसवाल निवासी ढीमडी, गुडामालानी बाडमेर		1– दानसिह पुत्र मोडसिह जाति राजपूत निवासी ठीमडी, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर 2– केसाराम पुत्र भोमाराम 3– भैराराम पुत्र भोमाराम 4– आईदानराम पुत्र भबूताराम 5– खीमसिह पुत्र भबूताराम 6– जबरसिह पुत्र भबूताराम 7– कस्तूरीदेवी पत्नी भबूताराम जाति पुरोहित निवासी ढिमडी 8– उकाराम पुत्र गोकलाराम 9– अमराराम पुत्र गोकलाराम 10–गेनाराम पुत्र गोकलाराम जाति कलबी निवासी ढीमडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 6–6–2016 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडा मालानी (बाडमेर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 188/2015 अनवान दान सिह बनाम गणपत लाल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री यशवंत मेहता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 31–1–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 दानसिह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि मौजा ढीमडी के खसरा नंबर 45 रकबा 34.06 बीघा की पक्की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गुडामालानी को दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे विवादित खसरा नंबर की भूमि के संबंध मे सीमाज्ञान करवाकर चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को

दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस तामिल करवाये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया । अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांटगण ग्राम ढीमडी मे निवासी ही नही करते है वे व्यापार के सिलसिले से मुम्बई मे निवासी करते है फिर भी अपीलांटगण को मुम्बई पते पर नोटिस भेजे बिना केवल ढीमडी के पते पर नोटिस जारी कर अपीलांट के निवास स्थान पर चस्पा करते हुए तामिल मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये तथा मौका देखे बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–6–2016 को अपास्त करने तथा उक्त निर्णय के आधार पर पारित फर्द मौका दिनांक 5–7–2016 एवं 14–7–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया । इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ का अवलोकन किया, आदेशिका दिनांक 27–4–2016 मे स्पष्ट उल्लेख है कि विप्रार्थीगण के सम्मन तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही, वकील प्रार्थी विप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश करने के आदेश दिये गये थे तथा आगामी तारीख पेशी 6–6–2016 मुकर्रर की गई तथा दिनांक 6–6–2016 को पत्रावली को अटल सेवा केन्द्र बांटा मे रखने की सूचना बाबत एक कॉमन नोटिस समस्त रेस्पो0 का जारी किया गया, उक्त नोटिस के पीछे वर्तमान अपीलांट के नाम के आगे तीनो बम्बई मे रहते है, मकान पर चस्पा करने तथा गणपतलाल का फोन स्वीच ऑफ होने की रिपोर्ट है, अथार्त अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या 1 दान सिह के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर.एक्ट मे वर्णित अपीलाधीन भूमि की उभयपक्ष (वर्तमान अपीलांटगण व रेस्पो0गण) एवं अन्य पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे पहले विधिवत सीमाज्ञान

की कार्यवाही सम्पन्न करे, सीमाज्ञान रिपोर्ट पर कोई विवाद होने पर पक्षकारान को सुनकर उसके पश्चात पुनः पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 31–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर